

क्रमांक-

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर

दिनांक- 15.04.2024


:: संशोधित कार्यालय आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया जाता है कि किशनगढ़ मुख्यालय पर अवस्थित आरक्षी केन्द्रों से संबंधित धारा- 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लेखबद्ध किए जाने वाले बयान, मृत्युकालिक कथन हेतु इस कार्यालय के गत कार्यालय आदेश क्रमांक 05 दिनांकित 27.04.2023 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्रम संख्या	आरक्षी केन्द्र का नाम	क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय का नाम	प्रथम लिंक न्यायालय	द्वितीय लिंक न्यायालय	तृतीय लिंक न्यायालय
I	II	III	IV	V	VI
01	मदनगंज	ACJM-1, KISHANGARH	ACJM-2, KISHANGARH	AMJM, KISHANGARH	NI, KISHANGARH
02	गांधीनगर, बांदरसिन्दरी	ACJM-2, KISHANGARH	ACJM-1, KISHANGARH	JM, KISHANGARH	NI, KISHANGARH
03	अरांडी, रूपनगढ़	JM, KISHANGARH	AMJM, KISHANGARH	NI, KISHANGARH	ACJM-2, KISHANGARH
04.	किशनगढ़	AMJM, KISHANGARH	JM, KISHANGARH	NI, KISHANGARH	ACJM-1, KISHANGARH

नोट-

01. हस्तगत आदेश की दिनांक से पूर्व न्यायालयों में पेशशुदा 164 सीआर.पी.सी., मृत्युकालिक कथन, इन्वेन्ट्री कार्यवाही के प्रार्थना-पत्र की कार्यवाही संबंधित न्यायालयों के द्वारा ही पूर्ण की जावेगी।
02. उपरोक्त कार्यवाहियों के संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेश निरस्त किए जाते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उपरोक्त कार्यवाहियों के संबंध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता से आदेश प्राप्त किए जायेंगे।
03. उपरोक्त न्यायालयों की क्षेत्राधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्रों से संबंधित माल एवं मुलजिम की कार्यवाही शिनाख्तगी की कार्यवाही संबंधित मुख्यालय के उपखण्ड अधिकारी द्वारा की जावेगी एवं उनकी अनुपस्थिति में संबंधित मुख्यालय के तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जाएगी।
04. यदि किसी प्रकरण में गवाह की उम्र- 18 वर्ष से कम हो व गवाह Child Care Institutions, Ajmer में दाखिल हो, उनके बयान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक Gen/XV/45/2006/committee/655 dated 21-02-2023 की पालना में 164 सीआर.पी.सी. के बयान लेखबद्ध करवाए जाने हेतु आदेश पृथक से अद्योहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त किए जायेंगे।


{शालिनी शर्मा}


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर।

दिनांक - 15.04.2024

क्रमांक - 696-702

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को सादर प्रेषित है :-

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर।
02. समस्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर न्याय क्षेत्र।
03. पुलिस अधीक्षक, अजमेर।
04. उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ मार्फत जिला कलक्टर, अजमेर
05. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ मार्फत जिला कलक्टर, अजमेर।
06. प्रभारी अधिकारी पुलिस कंट्रोल रूम, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि अजमेर मुख्यालय के समस्त आरक्षी केन्द्रों को जरिये वायरलेस सूचित किया जावे।
07. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को जिला न्यायालय की Website पर upload करें।
08. कार्यालय प्रति।


{शालिनी शर्मा}